

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पारपत्र)विभाग
मंत्रालय

प्रेषक:-

श्री दास
अवर सचिव

प्रेषित:-

सचिव,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
फर्स्ट फ्लोर हेरीटेज बिल्डींग
मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम
नेयर इंडिया गेट नई दिल्ली-1100001

विषय:-

निवास वृद्धि पाक नागरिका-श्रीमती आलिया नाज पत्नी श्री इन्तिखाब हसन निवासी जिला
भोपाल।

महोदय,

भोपाल, दिनांक 2 / 1 / 2019

—0—

विषयांकित पाक नागरिका 88 दिन के वीसीटर वीसा पर दिनांक 06.12.2017 को भारत आये, मूल वीसा की अवधि दिनांक 11.12.2017 को समाप्त होने पर उनके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ स्थाई निवास करने हेतु फार्म "बी" में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये, जो संलग्न प्रेषित है।

2/ पाक नागरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त जानकारी पत्र के अनुसार उनके बहने पाकिस्तान में निवासरत है। उनके यहाँ पर पति रहते हैं। अतिरिक्त जानकारी पत्रक की कड़िका 6,7,8,9,10 में नहीं अंकित है। भरण-पोषण हेतु गारंटी बॉण्ड भी प्रस्तुत किया गया है उनके पारपत्र दिनांक 02.12.2019 तक वैध है।


3/ पाक नागरिका श्रीमती आलिया नाज पत्नी श्री इन्तिखाब हसन को दिनांक 04.03.2018 से 03.09.2018 तक एवं दिनांक 04.09.2018 से 07.12.2019 तक निवास वृद्धि प्रदान करने हेतु सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा(सुरक्षा) म0प्र0 एवं पुलिस अधीक्षक, भोपाल द्वारा अनापत्ति व्यक्त की है।

4/ आपके ज्ञाप क्रमांक 12011/25/07/एफ-3, दिनांक 2.6.2010 की कड़िका 3 के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी जाना है।

5/ अतएव अनुरोध है कि प्रकरण में विशेष शाखा (सुरक्षा) मध्यप्रदेश भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक, भोपाल द्वारा की गई अनापत्तियों के आधार पर उक्त पाक नागरिकों/नागरिक को आवेदित निवास वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो राज्य शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। कृपया लिये गये निर्णय से शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(श्रीदास)

पू0 क्रमांक एफ-3(ए)55/2018/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक / / 2019

- 1/ सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सुरक्षा) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक विशा/15/पाक/2017-20 (695.) दि.30.08.2018 के संदर्भ में।
- 2/ पुलिस अधीक्षक, भोपाल (म0प्र0)
- 3/ आवेदिका श्रीमती आलिया नाज पत्नी श्री इन्तिखाब हसन निवासी 18 बी चिनार अपार्टमेंट रिज रोड ईदगाह हिल्स जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग